

प्रेपक,  
जे. पी. जोशी,  
अनु सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में:

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-२  
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग।

देहरादून: दिनांक 27 जून, 2002

विषय: रेनवो पब्लिक स्कूल, ब्राह्मण मोहल्ला, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,  
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेनवो पब्लिक स्कूल, ब्राह्मण मोहल्ला, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्त्यों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-सभय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- संरथा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय की माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टाफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- संरथा शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उम्माति विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा ज्ञान-ज्ञान पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे ज्ञान उनका पालन करेगी।
- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रणाली/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किए जायेगा।
- 2- प्रतिवन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-
- 1- कक्षों, शिक्षकों, भूमि तथा भवन की स्थिति रख्ते करा ली जाय।
  - 3- उक्त प्रतिवन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चुक या शिथिलता वरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रगाण-पत्र वापरा लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)

अनु सचिव।


618

संख्या: (1)/618/माध्यमिक/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, वैसिक एवं माध्यमिक, उत्तरांचल देहरादून।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौडी।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक पौडी।
- ✓ 4- प्रवन्धक रेनवो पब्लिक स्कूल, ब्राह्मण मोहल्ला, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल।
- 5- अनुभागीय पुस्तिका।

आङ्गा से,



(जे. पी. जोशी)

अनु सचिव।